न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री मुन्नीराम बागड़िया आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 17 / 2017 — GCMS NO-2017/00024

प्रार्थी		अप्रार्थी
रमेशचन्द्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।	बनाम	1. श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री देवीदास सेल्समेन ऑफ M/S Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. (License) एवं मैसर्स विजयराज भोजवानी (Sub-License) Milk stall सर्कलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन रामदेवरा घर का पत्ता 3 / 134 पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली 2. विजयराज भोजवानी (Sub-License) Milk stall सर्कलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन रामदेवरा घर का पत्ता 109 दो कोटो के वीच वार्ड संख्या 30 घंटाघर जोधपुर 3. नरेन्द्र सोनगरा मैनेजर M/S Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. (License) प्लाट संख्या ई 376 सैकन्ड फैस इन्डिस्ट्रियल एरिया बासनी जोधपुर 4- एस.पी. देशमुख Senior Executive (Nominee) Kaira District Co-operative Milk poducers, Union Ltd. Amul Dairy Road Anand Gujrat 388001 5. हरेन्द्र सिंह राठौड़ ब्रांच मैनेजर Gujrat Co-oprativ Mil Marketin Federation Lte. C/O Shah Padam Chand Muth& compny E 376 MIA Basni Second Phase Jodhpur 342005 6. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री जेठमल गुलेच्छा (Disitributer) M/S Jain Cloth and General Store Tripoliya Bazar Phalodi Jodhpur Raj. 7. Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. C/O Shah Padam Chand Mutha & Company E 376 MIA Basni Second Phase Jodhpur 342005 8. Kaira District Co-operative Milk producers, Union Ltd. Amul Dairy Road Anand Gujrat 388001

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 08 अनुपस्थित।

(हस्ताक्षर)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

:: निर्णय :: दिनांकः 29.04.2024

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.04.2016 को दोपहर 09.15 एएम पर दौरान निरीक्षणार्थ M/S Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. (License) एवं मैसर्स विजयराज भोजवानी (Sub-License) Milk stall सर्कलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन रामदेवरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान M/S Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. (License) एवं मैसर्स विजयराज भोजवानी (Sub-License) Milk stall सर्कलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन रामदेवरा पर 1. श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री देवीदास सेल्समेन (विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर केन डेयरी बेज्ड ड्रिंक स्ट्रॉबेरी शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात केन डेयरी बेज्ड ड्रिंक स्ट्रॉबेरी शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) 12 केन (प्रत्येक केन में 200 एम.एल.) के नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 360/- रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा केन डेयरी बेज्ड ड्रिंक स्ट्रॉबेरी शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एनड्बलूआर-228 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एनड्बलूआर-228 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एनड्बलूआर-228 केन डेयरी बेज्ड ड्रिंक स्ट्रॉबेरी शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को श्री स्वयं के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को अभिहित अधिकारी उ.प. रेलवे जयपुर के पत्रांक FSSA/228/JP दिनांक 06.05.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./380/Act/2016/410 दिनांक 13.04.2016 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं मिछब्राण्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्रांक FSSA/228/JP दिनांक 10.03.2017 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी उ.प.रेलवे जोधपुर को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1 श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री देवीदास सेल्समेन ऑफ M/S Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. (License) एवं मैसर्स विजयराज भोजवानी (Sub-License) Milk stall सर्कलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन रामदेवरा घर का पत्ता 3/134 पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली 02. विजयराज भोजवानी (Sub-License) Milk stall सर्कलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन रामदेवरा घर का पत्ता 109 दो कोटो के बीच वार्ड संख्या 30 घंटाघर जोधपुर 03. नरेन्द्र सोनगरा मैनेजर M/S Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. (License) प्लाट संख्या ई 376 सैकन्ड फैस इन्डिस्ट्रियल एरिया बासनी जोधपुर 04. एस.पी. देशमुख Senior Executive (Nominee) Kaira District Co-operative Milk poducers, Union Ltd. Amul Dairy Road Anand Gujrat 388001 05. हरेन्द्र सिंह राठौड़ ब्रांच मैनेजर Gujrat Co-oprativ Mil Marketin Federation Lte. C/O Shah Padam Chand Muth& compny E 376 MIA Basni Second Phase Jodhpur 342005 06. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री जेठमल गुलेच्छा (Disitributer) M/S Jain Cloth and General Store Tripoliya Bazar Phalodi Jodhpur Raj. 07. Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. C/O Shah Padam Chand Mutha & Company E 376 MIA Basni Second Phase Jodhpur 342005 07. Kaira District Co-operative Milk producers, Union Ltd. Amul Dairy Road Anand Gujrat 388001 के द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं केन डेयरी वेज्ड ड्रिंक स्ट्रॉबेरी शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 से 03 अनुपस्थित एवं जवाब अप्राप्त।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न्यायालय में हाजीर नहीं हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच L.S./380/Act/2016/410 दिनांक 13.04.2016 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं मिछब्राण्ड पाया गया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड स्तर के केन डेयरी वेज्ड ड्रिंक स्ट्रॉबेरी शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 01. श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री देवीदास सेल्समेन ऑफ M/S Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. (License) एवं मैसर्स विजयराज भोजवानी (Sub-License) Milk stall सर्कलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन रामदेवरा घर का पत्ता 3/134 पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली 02. विजयराज भोजवानी (Sub-License) Milk stall सर्कलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन रामदेवरा घर का पत्ता 109 दो कोटो के बीच वार्ड संख्या 30 घंटाघर जोधपुर 03. नरेन्द्र सोनगरा मैनेजर M/S Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. (License) प्लाट संख्या ई 376 सैकन्ड फैस इन्डिस्ट्रियल एरिया बासनी जोधपुर 04. एस.पी. देशमुख Senior Executive (Nominee) Kaira District Co-operative Milk poducers, Union Ltd. Amul Dairy Road Anand Gujrat 388001 05. हरेन्द्र सिंह राठौड़ ब्रांच मैनेजर Gujrat Co-oprativ Mil Marketin Federation Lte. C/O Shah Padam Chand Muth& compny E 376 MIA Basni Second Phase Jodhpur 342005 06. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री जेठमल गुलेच्छा (Disitributer) M/S Jain Cloth and General Store Tripoliya Bazar Phalodi Jodhpur Raj. 07. Gujrat Co-oprativ Milk Marketing Federation Ltd. C/O Shah Padam Chand Mutha & Company E 376 MIA Basni Second Phase Jodhpur 342005 07. Kaira District Co-operative Milk producers, Union Ltd. Amul Dairy Road Anand Gujrat 388001 के द्वारा सबस्टेण्डर्ड स्तर का केन डेयरी बेज्ड ड्रिंक स्ट्रॉबेरी शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) खाद्य पदार्थ के सबस्टेण्डर्ड एवं मिछब्राण्ड विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 से 08 पर कुल 16,000/– रूपये अक्षरे सोलह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुन्नीराम बागड़िया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर